| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**रेफरेन्स/एलआर/2299/2006/करौली**<br>**सरकार बनाम सोमोती** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10-09-2025 | **एकलपीठ**<br>**श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः–**<br>श्री तेजेन्द्र सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।<br>विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।<br><br>**आदेश**<br><br>1– यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 10–02–2006 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।<br><br>2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हिण्डौन ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.04 एवं आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.20 गत खसरा नम्बर 260 रकबा 0.16 बि0 वाके ग्राम जहानाबाद का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। उक्त रकबा मुताबिक खतौनी बंदोबस्त माफी 2000–19 नं0 88 माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन की खातेदारी में था। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में अंकित आराजी को जरिये जमाबंदी सम्वत् 2025–28 खाता नं0 122 की प्रविष्टि से किशोरी पुत्र छुट्टन जाति माली के नाम अवैधानिक हस्तांतरण जरिये विक्रय पत्र कर दिया जिसका नामांतरकरण जमाबंदी सम्वत् 2057–60 की खाता संख्या 201 की प्रविष्टि से विपक्षीगण सोमोती वगैराह के नाम दर्ज किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र 3/606/ Rev/GR- IV /76 जयपुर दिनांक 30 मार्च 1977 के तहत हुआ हस्तांतरण अवैध और ऐसे हस्तांतरण करने का कानूनी अधिकार प्रान्त नहीं था। उक्त अवैध हस्तांतरण होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत नामांतरकरण/जमाबंदी सम्वत् 2025–28 में खाता संख्या 122 की प्रविष्टि निरस्त किये जाने योग्य है तथा पश्चात्वर्ती इंद्राज भी खारिज किये जाने योगय है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया।<br><br>3– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली ने अपने आदेश दिनांक 10–02–2006 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है।<br><br>4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**रेफरेन्स/एलआर/2299/2006/करौली**<br>**सरकार बनाम सोमोती** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 5— योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पूनः माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।<br><br>6— हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2016—19 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 260 रकबा 16 बिस्वा भूमि माफी मंदिर धनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2057—60 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम जहानाबाद में स्थित खाता संख्या नया 201 में स्थित हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नम्बर 136 रकबा 0.20 है0 भूमि सोमोती बेवा किशोरी, ज्ञानसिंह , धर्मसिंह, चरणसिंह, अतरसिंह, देवीसिंह, शिवसिंह पि0 मीठी हड्डो बेवा मीठी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046—66 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 260 मि0 रकबा 16 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा संख्या 136 रकबा 0.20 है0 कायम हुए हैं। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।<br><br>7— अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि आराजी खसरा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**रेफरेन्स/एलआर/2299/2006/करौली**<br>**सरकार बनाम सोमोती** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | नम्बर 135 रकबा 0.04 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.20 है0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 260 रकबा 0.16 बि0 से अप्रार्थी सोमोती बेवा किशोरी, ज्ञानसिंह, धनसिंह, चरणसिंह, अतरसिंह, देवीसिंह, शिवसिंह पि0 मीठी, हट्टो बेवा मीठी निवासी जहानाबाद तहसील हिण्डौन का नाम हटाकर वापिस माफी मंदिर घनश्याम जी विराजमान कस्बा हिण्डौन के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)**<br>**सदस्य** | |